Office of the Registrar
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut U.P.

State Government Order Regarding Reservation

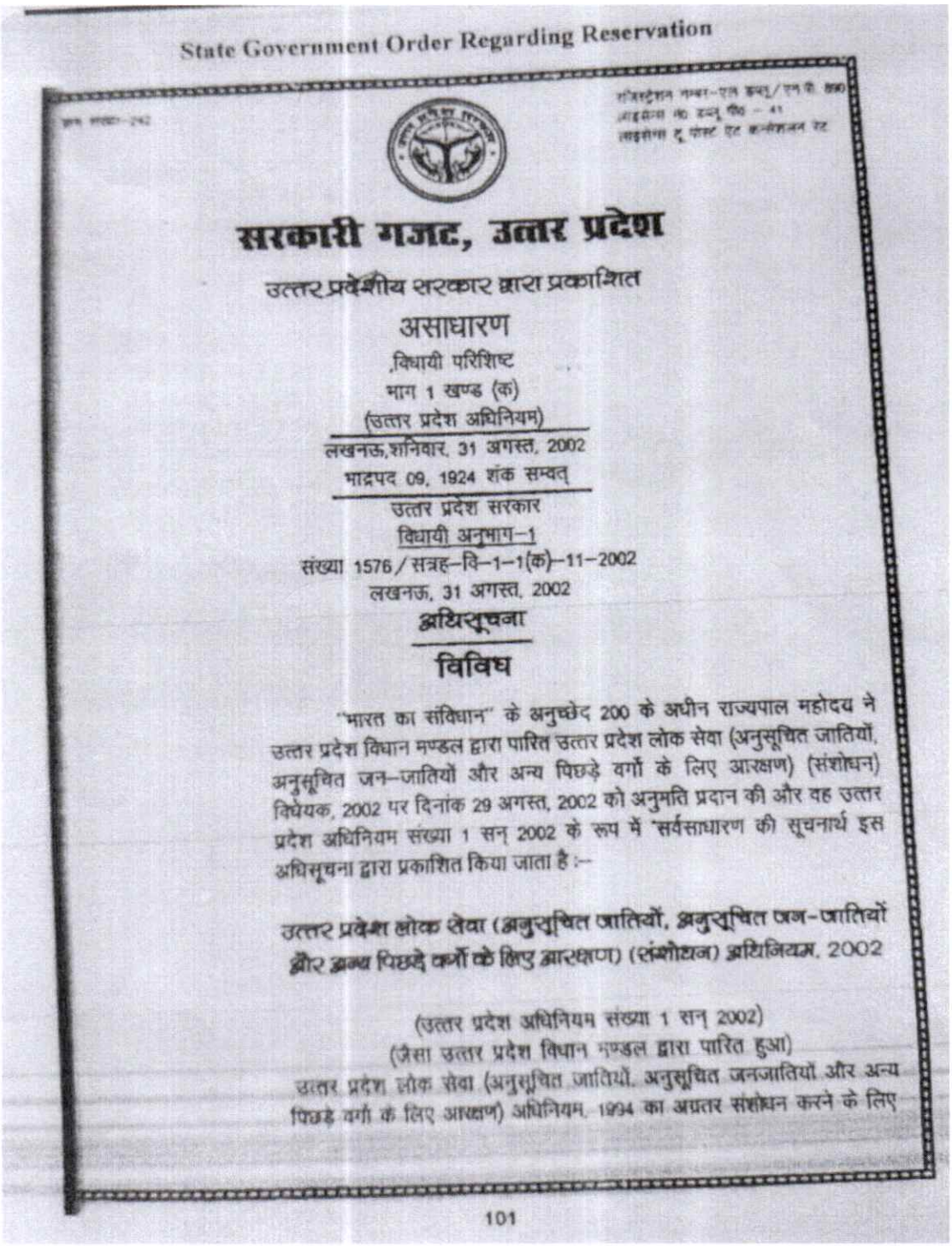

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 31 अगस्त, 2002

भाद्रपद 09, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1576 / सत्रह–वि–1–1(क)–11–2002

लखनऊ, 31 अगस्त, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 29 अगस्त, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

101

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(2) धारा 2, धारा 3, के खण्ड (क) द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वितीय परन्तुक को छोड़कर धारा 3 के खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक) धारा 4, धारा 5 और धारा 6, 15 सितम्बर 2001 को प्रवृत्त हुए समझे जायेगें धारा 3 के खण्ड (क) के शेष उपबन्ध, खण्ड (ख) का उपखण्ड (दो) और खण्ड (ग) 25 जून 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 2 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है।

(क) धारा–2 में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात:–

'(ख) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है'.

(ख) खण्ड (ख–1), (ख–2), (ख–3) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 3 में–

(क) उपधारा (1), (2), (3), के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात:–

"(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा:–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में – इक्कीस प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में – दो प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में – सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा:

परन्तु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किसी भर्ती का वर्ष में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की, जिसके लिए भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध के उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त बिना भरे

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Office of the Registrar
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut U.P.

English translation of the relevant portion of reservation government order	
Amendment of Section 3	3- Section 3 of the Original Act – (A) Following sub-sections will replace sub-sections (1), (2) and (3), means: - "1- On posts and in public services, direct recruitment of individuals belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward castes, according to the roster for vacancies mentioned in the sub-section 5, following percentage reservation will be applicable: (a) Scheduled caste – 21% (b) Scheduled tribes – 2% (c) Other backward castes – 27%

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Office of the Registrar
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut U.P.

क्रम संख्या–142

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

English version of GO will start from page No 6

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1577 / 79-वि-1–20-1(क)-4-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 जिससे कार्मिक अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में लागू विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण और उससे सबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 1 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

195 RJPH 2020 (Mantri vetan Bharta) (Adhiniyam) 4c

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Office of the Registrar
Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut U.P.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and with reference of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.), dated 19th January, 2019, has been made provision of 10 per cent reservation to Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India.

It has therefore been decided to make a law to provide 10 per cent reservation in Public Services and Posts in favour of persons belonging to the Economically Weaker Sections (EWSs) of citizens in addition to the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Uttar Pradesh Public Services Reservation for Economically Weaker Sections Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 195 राजपत्र-2020-(572)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 153 सा० विधायी-2020-(573)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
195 RPH 2020 (Adhiniyam)-data 4e